



2025:AHC: 17766

13.01.2026 को सुरक्षित

27.01.2026 को पारित

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 11217 वर्ष 2025

चंद्र प्रकाश सिंह और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह प्रत्युत्तर-शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। तदनुसार, पक्षकारों की सहमति से, इस याचिका का निस्तारण आगे और शपथ-पत्र मांगे बिना अंतिम रूप से किया जा रहा है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिनकी सहायता श्री अदितेंद्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने किया, तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी, जिनकी सहायता श्री आशीष कुमार नागवंशी, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने किया, को सुना गया।
3. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दायर की गई है:-

"(i) शिक्षा निदेशक (बेसिक), यू.पी. लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 को रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) प्रत्यर्थी को जनपद गोरखपुर के किसी अन्य मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में याचिकाकर्ताओं को सभी पारिणामिक लाभों के साथ इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर समायोजित/विलयन करने का समादेश देने हेतु एक उपयुक्त प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश।

(iii) प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता संख्या 1, 3 और 5 को नियमित मासिक वेतन तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 को नियमित मासिक पेंशन हर माह नियमित रूप से संवितरित करने का समादेश देने हेतु एक उपयुक्त प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश।

(iv) प्रत्यर्थी को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को सितंबर 2018 से वेतन के सभी बकाए संवितरित करने का समादेश देने हेतु एक उपयुक्त प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 की पेंशन का बकाया भी शामिल है।

(v) एक ऐसी प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय वाद की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

(vi) वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता को संपूर्ण वाद व्यय प्रदान किया जाए।"

4. वाद के संक्षिप्त तथ्य रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि किसान शिक्षा प्रसार मंडल, गोरखपुर, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी है, जिसने बाबा सूर्य नारायण दास लघु माध्यमिक विद्यालय, सिरसिया, भटहट, गोरखपुर के नाम से एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया है, जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान भी प्राप्त कर रहा था। तदनुसार, उपरोक्त संस्था यूपी बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1972' कहा गया है); यूपी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 (जिसे आगे 'नियमावली, 1978' कहा गया है); यूपी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (लिपिक वर्गीय और समूह 'घ' कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1984 (जिसे आगे 'नियमावली, 1984' कहा गया है); और यूपी जूनियर हाई स्कूल (शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1978' कहा गया है) के प्रावधानों द्वारा शासित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे कथन किया कि प्रश्नगत संस्था को दिनांक 02.12.2006 को जारी शासनादेश द्वारा सहायता अनुदान सूची में लाया गया था।

6. याचिकाकर्ता संख्या 1 को सहायक अध्यापक के पद के लिए विधिवत चयनित किया गया था और बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 18.09.2015 के आदेश द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार, संस्था की प्रबंध समिति ने दिनांक 10.10.2015 का नियुक्ति पत्र जारी किया, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 14.10.2015 को कार्यभार ग्रहण किया।

7. याचिकाकर्ता संख्या 2 को सहायक अध्यापक के रूप में विधिवत चयनित किया गया था, और संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.05.1986 के आदेश द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा दिनांक 16.11.2007 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 01.07.1986 को संस्था में कार्यभार ग्रहण किया।

8. याचिकाकर्ता संख्या 3 को लिपिक के रूप में विधिवत चयनित और नियुक्त किया गया था, और संबंधित कागजात 20.01.2012 को बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष रखे गए थे, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, चयन को नियमावली, 1984 के नियम 15 के अनुसार अनुमोदित मान लिया गया। संस्था की प्रबंध समिति द्वारा 26.02.2012 का नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसरण में उसने 01.03.2012 को संस्था में कार्यभार ग्रहण किया।

9. याचिकाकर्ता संख्या 4 को संस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत चयनित किया गया था, और संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.1989 के आदेश द्वारा नियुक्ति को अनुमोदित किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 4 को वेतन भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा दिनांक 31.10.2013 के आदेश द्वारा दी गई थी।

10. याचिकाकर्ता संख्या 5 को भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया था। संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 22.11.1991 के आदेश के



माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा दिनांक 24.02.2009 के आदेश द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

11. याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तिथि से संस्था में अपने संबंधित पदों पर निरंतर कार्य करते रहे। याचिकाकर्ताओं को दिसंबर 2006 से अगस्त 2018 तक सरकारी अनुदान से वेतन का भुगतान किया गया। हालांकि, अगस्त 2018 के महीने से याचिकाकर्ताओं का वेतन रोक दिया गया।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था/प्रबंधन के खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), गोरखपुर/बस्ती मंडल ने प्रबंध समिति को अधिक्रांत करते हुए और खंड शिक्षा अधिकारी को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हुए दिनांक 22.04.2017 का एक आदेश पारित किया। तत्पश्चात, 05.09.2018 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 02.05.1985 के आदेश द्वारा प्रदान की गई स्थायी मान्यता रद्द कर दी गई, और संस्था में अध्ययन रत छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजित करने का निर्देश दिया गया।

13. उपरोक्त आदेश दिनांक 05.09.2018 को प्रबंध समिति द्वारा रिट याचिका संख्या 32781 वर्ष 2018 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय और आदेश दिनांक 27.09.2018 द्वारा खारिज कर दिया था। उपरोक्त आदेश को बाद में विशेष अपील संख्या 1184 वर्ष 2018 में चुनौती दी गई, जिसमें कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि आदेश दिनांक 05.09.2018 में छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजित करने का उल्लेख है, लेकिन यह संस्था के कर्मचारी सदस्यों (शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों) के समायोजन के संबंध में स्पष्ट रूप से मौन है।

15. चूंकि अगस्त 2018 के माह से याचिकाकर्ताओं का वेतन रोक दिया गया था, इसलिए उन्होंने अन्य संस्थाओं में अपने समायोजन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए जिलाधिकारी, गोरखपुर के समक्ष प्रत्यावेदन दिया, जैसा कि संस्था में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किया गया था, जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी।

16. जिलाधिकारी, गोरखपुर ने तदनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा, जिन्होंने दिनांक 16.10.2018 के एक पत्र के माध्यम से जवाब दिया। उन्होंने संस्था के कर्मचारियों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंध में मार्गदर्शन मांगते हुए अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) को संबोधित एक पत्र भी प्रेषित किया।

17. जब कुछ नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं ने रिट-ए संख्या 26118 वर्ष 2018 दायर किया, जिसमें अधिकारियों को जिला गोरखपुर के समक्ष जूनियर हाई स्कूलों में याचिकाकर्ताओं का विलयन करने और उन्हें अपने संबंधित पदों पर कार्य करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि वे पिछली संस्था में कार्य कर रहे थे, जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने माह-दर-माह आधार पर अपने वेतन के नियमित भुगतान के लिए भी प्रार्थना किया।

18. उपरोक्त रिट याचिका को अंततः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 05.03.2025 के आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को उन सभी आवश्यक कागजात और दस्तावेजों को प्रदान करने की अनुमति दी गई थी, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, साथ ही उपरोक्त रिट याचिका में प्रत्यर्थियों द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक), लखनऊ के समक्ष दाखिल जवाबी शपथपत्र की एक प्रति भी प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। इन्हें प्राप्त करने पर, शिक्षा निदेशक (बेसिक) से विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा की गई थी।

19. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, दिनांक 18.03.2025 का एक प्रत्यावेदन शिक्षा निदेशक (बेसिक) के समक्ष रखा गया, जिसमें सभी संबंधितों को दिनांक 21.03.2025 का नोटिस प्रदान किया गया, और अंततः, याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन दिनांक 04.06.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जो कि आक्षेपित आदेश है।

20. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 04.06.2025 का उपरोक्त आदेश मनमाने और विवेकाधीन तरीके से पारित किया गया है, क्योंकि एक समान परिस्थिति वाले बाद में, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं में समायोजित किया गया है।

21. उन्होंने आगे कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 23.09.2020 के आदेश द्वारा, ठाकुर शिव नारायण सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, भगवानपुर बाजार, महाराजगंज के कर्मचारियों और छात्रों को आसपास के एक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में विलय करने का निर्देश दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22. दिनांक 15.01.2019 के शासनादेश में मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कर्मचारियों के युक्तिकरण के साथ-साथ अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की भी कल्पना की गई थी, जिसे आक्षेपित आदेश पारित करने में अनदेखा किया गया है।

23. दिनांक 04.06.2025 का आक्षेपित आदेश 1978 नियमावली में ऐसे समायोजन के प्रावधानों के अभाव में पारित किया गया है। हालांकि, जब नियमावली आमेलन के बारे में मौन है, तो यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित पदों पर अन्य संस्थाओं में विलय नहीं किया जा सकता है, जैसा कि समान रूप से स्थितवादों में किया गया है। इसलिए, आक्षेपित आदेश मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से पारित किया गया है।

24. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता संस्था के विधिवत नियुक्त कर्मचारी थे और सरकारी अनुदान से नियमित रूप से अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे। संस्था की मान्यता रद्द होना याचिकाकर्ताओं की किसी गलती के कारण नहीं है; इसलिए, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है और वे अपने संबंधित पदों पर अन्य संस्थाओं में समायोजन के हकदार हैं।

25. जिस संस्था में याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, उसकी मान्यता रद्द होना उनके नियंत्रण से बाहर था। इसलिए, अन्य संस्थाओं में छात्रों के आमेलन के निर्देश के साथ संस्था की मान्यता रद्द करने या वापस लेने के आदेश के लिए समान रूप से आवश्यक है कि संस्था के कर्मचारियों के विलय के लिए समान निर्देश जारी किए जाएं। अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

26. रिट याचिका संख्या 26118 वर्ष 2018 (चंद्र प्रकाश और 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दाखिल प्रति शपथपत्र में यह कहा गया था कि तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संस्था के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आमेलन के संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) से उचित निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, ऐसे निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। इसलिए, यह आदेश विधि की दृष्टि में अनुचित है।

27. प्रत्यर्थी-बी.एस.ए. की ओर से दाखिल प्रति शपथपत्र में, यह विशेष रूप से कथन किया गया है कि बाबा सूर्य नारायण दास लोअर मिडिल स्कूल, सिरसिया, भटहट, गोरखपुर, एक सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल था, जिसे उप शिक्षा निदेशक, सातवें क्षेत्र, गोरखपुर द्वारा आदेश दिनांक 22.05.1985 के माध्यम से स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। संस्था को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 02.12.2006 के शासनादेश द्वारा सहायता अनुदान सूची के अंतर्गत लाया गया था, और इसके शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान यूपी जूनियर हाई स्कूल (शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था।

28. उपरोक्त संस्था द्वारा प्राप्त की गई फर्जी मान्यता के संबंध में दिनांक 22.01.2016 की शिकायत प्राप्त होने के बाद, मुख्य विकास अधिकारी ने एक जांच किया, जिसमें यह पाया गया कि राजस्व अभिलेखों में 0.291 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला प्लॉट संख्या 173 पंचायत भवन की भूमि के रूप में दर्ज था, और स्कूल भवन, प्रांगण और खेल का मैदान उस पर स्थित थे, जो प्रासंगिक नियमावली के विपरीत है।

29. जिलाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया, जिसने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें पाया गया कि स्कूल भवन और खेल का मैदान वास्तव में पंचायत की भूमि पर स्थित थे, जो 0.291 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्लॉट संख्या 173 के रूप में दर्ज थी।

30. उप-जिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर ने दिनांक 14.08.2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संस्था के प्रबंधक ने यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अंतर्गत एक वाद दायर किया था, जिसे 09.08.2018 को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

31. तत्पश्चात, वाद संख्या 4184 वर्ष 2017 (ग्राम सभा बनाम सूर्य नारायण) में, यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 87 के अंतर्गत तहसीलदार (न्यायिक), सदर, गोरखपुर के न्यायालय ने संस्था, अर्थात् बाबा सूर्य नारायण दास एल.एम.वी. को 0.291 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्लॉट संख्या 173 से बेदखल करने का आदेश दिया, और निष्पादन कार्यवाही की लागत के साथ 19,860/- रुपये का मुआवजा लगाया।

32. तदनुसार, उपरोक्त के दृष्टिगत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ने आदेश दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से संस्था की स्थायी मान्यता वापस ले ली और निर्देश दिया कि सभी छात्रों को पास के सरकारी संस्थानों, अर्थात् पी.एम.वी. गेहरी, पी.एम.वी. घोसा देउर, और मुडिला में स्थानांतरित किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



33. संस्था के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने रिट याचिका संख्या 26118 वर्ष 2018 दाखिल किया, जिसमें इस माननीय न्यायालय ने, आदेश दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से, शिक्षा निदेशक (बेसिक), यू.पी., लखनऊ को आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर उनके प्रत्यावेदन पर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

34. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन को 04.06.2025 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि किसी भी अन्य सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में समायोजन यूपी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1978, यथा संशोधित, के अंतर्गत अनुमेय नहीं था।

35. इस तथ्य को देखते हुए कि प्रश्नगत संस्था की मान्यता फर्जी और झूठे अभिलेख के आधार पर वापस ले ली गई है, याचिकाकर्ताओं, जो ऐसी संस्था के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी थे, द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 1978 नियमावली के अंतर्गत मान्यता वापस लेने पर स्थानांतरण या समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।

36. मान्यता वापस लेने के विरुद्ध दाखिल रिट याचिका, जो रिट याचिका संख्या 32781 वर्ष 2018 है, को भी इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 27.09.2018 के एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, उसी के आलोक में, याचिकाकर्ता किसी भी अन्य संस्था में समायोजन या स्थानांतरण के हकदार नहीं हैं।

37. याचिकाकर्ताओं ने 15.01.2019 के शासनादेश के आधार पर भी समायोजन/स्थानांतरण की मांग की है, जो कि भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि यह वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उक्त शासनादेश केवल उन स्थितियों से संबंधित है जहां, छात्र संख्या में गिरावट के कारण, विधिवत मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कुछ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया जाता है और उन्हें उनकी अधिवर्षता तक वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

38. वर्तमान वाद में, चूंकि जांच के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के कारण संस्था की मान्यता ही वापस ले ली गई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य संस्था में समायोजित या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



39. जहां तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण का प्रश्न है, जो दिनांक 23.09.2020 के सरकारी पत्र का संदर्भ देता है, जिसमें सरकार ने जिलाधिकारी, महाराजगंज को ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित स्कूल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और उसके कर्मचारियों और छात्रों को पास के सहायता प्राप्त स्कूल में समायोजित करने का निर्देश दिया था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज ने जिलाधिकारी, महाराजगंज के अनुमोदन से जारी आदेश दिनांक 30.12.2023 के माध्यम से, एक प्रधानाध्यापक और चार सहायक अध्यापकों को चिंगुडराम पी.एम.वी., कोल्हुई बृजमनगंज, और किसान जूनियर हाई स्कूल, महदेइया नौतनवा, जिला महाराजगंज में समायोजित किया। उपरोक्त आदेश दिनांक 30.12.2023 को बाद में शिक्षा निदेशक (बेसिक), यू.पी., लखनऊ के कार्यालय द्वारा दिनांक 14.08.2025 के पत्र के माध्यम से पुष्ट किया गया था, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज द्वारा दिनांक 18.08.2025 के संचार के माध्यम से फिर से पुष्ट किया गया था, हालांकि बहस के दौरान, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की मान्यता वापस लेने पर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समायोजन या विलय के लिए समय-समय पर संशोधित 1978 की नियमावली के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

40. चूंकि इस न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिस पर प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्य के संबंध में उच्च अधिकारियों को लिखने का वचन दिया है। हालांकि, अधिवक्ता का यह भी कथन है कि याचिकाकर्ता प्रार्थना किए गए वर्तमान अनुतोष के लिए नकारात्मक समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने ओडिशा राज्य और अन्य बनाम अनूप कुमार सेनापति और अन्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

41. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

42. यह भली-भांति स्थापित है कि जिस संस्था की मान्यता रद्द कर दी गई है, उसमें कार्यरत शिक्षक किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में समायोजन या आमेलन का दावा करने के लिए कोई निहित या प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। किसी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता उसमें की गई नियुक्तियों की वैधता के लिए वैधानिक आधार का निर्माण करती है, और एक बार ऐसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मान्यता वापस ले लिए जाने के बाद, संस्था विधि की दृष्टि में एक मान्यता प्राप्त इकाई के रूप में मौजूद नहीं रहती है। शिक्षकों की नियुक्तियां, मान्यता के साथ सह-समाप्त होने के कारण, स्वतः ही अपनी विधिक मान्यता खो देती हैं। समायोजन या विलय के लिए किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान, नियम या सरकारी नीति के अभाव में, राज्य के अधिकारियों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं को परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। साम्या, कठिनाई या सेवा की अवधि के आधार पर दावे विधि के स्पष्ट आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, और न्यायालय न्यायिक आदेश द्वारा सेवा अधिकार नहीं बना सकते हैं जहां विधि मौन है।

43. याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि समान रूप से स्थित शिक्षकों को कहीं और समायोजित किया गया है, इस आधार पर समायोजन या आमेलन की मांग करना पूरी तरह से भ्रांतिपूर्ण है। यह संवैधानिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता के सिद्धांत को समाहित करता है और नकारात्मक समानता की अवधारणा का समर्थन नहीं करता है। किसी व्यक्ति को दिया गया अवैध या अनियमित लाभ कोई मिसाल कायम नहीं करता है और न ही दूसरों को समान व्यवहार का दावा करने का विधिक अधिकार प्रदान करता है। जहां संविधि, मान्यता रद्द की गई संस्था के शिक्षकों के आमेलन का प्रावधान नहीं करता है, वहां केवल इस आधार पर कोई अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता है कि कुछ व्यक्तियों को गलती से ऐसा लाभ दिया गया होगा। न्यायालय समानता की आड़ में किसी अवैधता को कायम नहीं रख सकते हैं।

44. **बिहार राज्य बनाम कामेश्वर प्रसाद सिंह** के वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"30. संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत परिकल्पित समानता की अवधारणा एक सकारात्मक अवधारणा है, जिसे नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। जब किसी प्राधिकरण को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता करते हुए दिखाया जाता है, तो अन्य लोग उन्हें इससे वंचित करने के आधार पर उसी अवैधता या अनियमितता का दावा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति के पक्ष में पारित गलत निर्णय दूसरों को समान लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। इस संबंध में इस न्यायालय ने गुरशरण सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति में अभिनिर्धारित किया कि नागरिकों ने संविधान के अनुच्छेद 14

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के दायरे के संबंध में गलत धारणाएं मान ली हैं, जो सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है।"

45. **भारत संघ बनाम कार्तिक चंद्र मॉडल** के वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"यह मानते हुए भी कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को समायोजित करने का आदेश दिया गया था, यदि वह गलती से किया गया है, तो वह आगे की अवैधता को कायम रखने का आधार नहीं बन सकता है। यदि कोई नियुक्ति अवैध रूप से या अनियमित रूप से की जाती है, तो वह आगे की नियुक्ति का आधार नहीं हो सकती है। एक गलत निर्णय को जनता या एक बड़े वर्ग के सामान्य कल्याण के नुकसान के लिए आगे की त्रुटि को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

46. **बसावराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"8. यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि संविधान का अनुच्छेद 14 अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखने के लिए नहीं है, यहां तक कि अन्य प्रकरणों में किए गए गलत निर्णयों का विस्तार करके भी। उक्त प्रावधान नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कोई राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को वही राहत पाने का कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि किसी पुराने प्रकरण में कोई गलती की गई है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समानता एक घिसा-पिटा विषय है, जिसका दावा अवैधता में नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या न्यायालय द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या गुणा करने या समान रूप से गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या श्रेष्ठ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं कर सकते हैं। किसी विशेष पक्षकार के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्षकार को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है।"

47. किसी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता उसके विधिक अस्तित्व का वैधानिक आधार है। उसमें की गई शिक्षकों की नियुक्तियां अपनी वैधता पूरी तरह से ऐसी मान्यता से प्राप्त करती हैं। एक बार जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो संस्था विधि की दृष्टि में एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर देती है, और शिक्षकों की नियुक्तियां, मान्यता के साथ सह-समाप्त होने के कारण, स्वतः ही अपनी विधिक पवित्रता खो देती हैं।

48. सेवा न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि विलय या समायोजन किसी कर्मचारी का कोई अंतर्निहित या निहित अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार तभी उत्पन्न हो सकता है, जब यह संविधि, वैधानिक नियमावली या विशिष्ट सरकारी नीति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो। ऐसे किसी सक्षम प्रावधान के अभाव में, मान्यता रद्द की गई संस्था के शिक्षक राज्य के अधिकारियों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधन को उन्हें विलय या समायोजित करने का समादेश देने वाली परमादेश की रिट की मांग नहीं कर सकते हैं।

49. सहानुभूति, कठिनाई या सेवा की अवधि पर आधारित दावे विधि के स्पष्ट आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। न्यायालय न्यायिक आदेश द्वारा सेवा अधिकार नहीं बना सकते हैं, जहां संविधि मौन है। मान्यता रद्द करना, सरकार के आदेशित बंदी या वैधानिक अधिग्रहण के विपरीत, राज्य की ओर से वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता है।

50. **महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव राउंडल और अन्य** के वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी शैक्षणिक संस्थान में नियुक्तियां उसकी मान्यता पर निर्भर हैं; एक बार मान्यता वापस ले लिए जाने के बाद, ऐसी नियुक्तियां कायम नहीं रह सकती हैं।

51. जो भी हो, उस संस्था के शिक्षकों को, जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, वैधानिक प्रावधानों के अभाव में अन्य संस्थाओं में विलय या समायोजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, और वैधानिक नियमावली के विपरीत अधिकार प्रदान करने के लिए साम्या के विचारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है या जहां संबंधित मुद्दे पर विधि मौन है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



52. उस संस्था में कार्यरत शिक्षक जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, अधिकार के रूप में, किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में समायोजन या विलय का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसी राहत तभी दी जा सकती है, जब विधि या सरकारी नीति द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत हो। इसके अभाव में, कोई विधिक या प्रवर्तनीय अधिकार शेष नहीं रहता है।

53. उपरोक्त चर्चा और स्थापित विधिक स्थिति के दृष्टिगत, अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं में समायोजन/विलय की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं का दावा पूरी तरह से भ्रांतिपूर्ण और गुण-दोष रहित है। अतः किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

54. हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर, यह न्यायालय प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को यह स्पष्ट करते हुए तत्काल उचित परिपत्र जारी करने का निर्देश देता है कि उन शिक्षकों का विलय या समायोजन, जिनकी मूल संस्था की मान्यता समाप्त हो गई है, कोई निहित, प्रोद्भूत, या प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं करता है, जब तक कि ऐसा आमेलन संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से स्वीकृत न हो।

55. प्रमुख सचिव उन सभी प्रकरणों की व्यापक संवीक्षा करेंगे, जहां संस्थाओं की मान्यता रद्द होने के अनुसरण में शिक्षकों का विलय या समायोजित किया गया है, जिनमें उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था। ऐसी संवीक्षा करने पर, यदि यह पाया जाता है कि विलय या समायोजन वैधानिक नियमावली के बाहर या विधि के प्राधिकार के बिना किया गया है, तो सख्ती से विधि के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

56. यह स्पष्ट किया जाता है कि साम्या, सहानुभूति, सेवा में लंबे समय तक बने रहने, या प्रशासनिक चूक पर आधारित कोई भी दावा वहां कायम नहीं रखा जा सकता है, जहां प्रारंभिक विलय या समायोजन स्वयं वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। विधि के विरुद्ध कोई विबंधन नहीं हो सकता है, और शासित नियमावली के उल्लंघन में की गई किसी भी कार्रवाई को केवल साम्या के आधार पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

57. न्यायालय आगे संप्रेक्षण करता है कि इस तरह के अवैध विलय या समायोजन की अनुमति देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह उन अन्य पात्र उम्मीदवारों की कीमत पर कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान होगा, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से वंचित रहे होंगे। हालांकि, कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से पूर्व, संबंधित शिक्षकों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

58. यह पूरी कार्यवाही शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, और प्रमुख सचिव इसके सही अक्षरशः और भावना में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

59. निबंधक, अनुपालन को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश को प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के साथ-साथ प्रमुख सचिव (विधि) और एल.आर., उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को तत्काल अनुपालन हेतु प्रेषित करें।

60. उपरोक्त निर्देशों और संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

27 जनवरी, 2026

जितेंद्र/-